15

अभिलेख उपस्थापित।

अंचल अधिकारी, टाटीझरिया के पत्रांक 657 दिनांक 14.9.15 के द्वारा लगान निर्धारण वाद संख्या 04/2013-14 से संबंधित अभिलेख त्रुटि सुधार उपरान्त प्राप्त हुआ है। अभिलेख का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, टाटीझरिया द्वारा आवेदक श्री झुनझुन कुमार गुप्ता पिता श्री महावीर प्रसाद साह ग्राम- टाटीझरिया के नाम निम्नलिखित बेलगान भूमि का लगान निर्धारण हेतु प्रस्ताव दिया गया है:-

| मौजा | थाना न0 | खाता न | प्लॉट न0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| टाटीझरिया | 176 | 65 | 1747 | 3.33 डी0 |
| | | | 1748 | 1.00 डी0 |
| | | | 1749 | 0.67 डी0 |
| | | | 1751 | 4.00 डी0 |
| कुल रकवा | | | | 9.00 डी0 |

अंचल अधिकारी, टाटीझरिया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त भूमि लघु सर्वे में चेतो बढ़ई पिता- तुलसी बढ़ई वो कमन राणा उर्फ झमन राणा पिता- अमृत राणा के नाम खतियानी दर्ज है। आवेदित भूमि पर वर्तमान में केता श्री झुनझुन कुमार गुप्ता पिता श्री महावीर प्रसाद साह का दखल है। श्री झुनझुन कुमार गुप्ता को उक्त भूमि खरीदगी केवाला संख्या 1403 दिनांक 3.2.2011 द्वारा खतियानी रैयत के वंशज श्री जगदीश मिस्त्री पिता कमन उर्फ झमन मिस्त्री से हासिल है।

आवेदक के नाम से लगान निर्धारण हेतु अंचल अधिकारी, टाटीझरिया के द्वारा आम इस्तेहार निर्गत है। किसी के द्वारा आपत्ति दर्ज नही कराई गई। अभिलेख के साथ अंचल अमीन के द्वारा निर्मित प्रस्तावित भूमि का नक्शा, फार्म-एम मे लगान निर्धारण संबंधी प्रतिवेदन, भूमि का सर्वे खतियान की छाया प्रति, अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित खतियानी रैयत की वंशावली, आस-पास के दो रैयत श्री महाबीर यादव पिता-बिशुन यादव एवं श्री प्रसादी सिंह पिता- स्व0 शीतल सिंह का प्रस्तावित भूमि पर आवेदक का दखल संबंधी शपथ पत्र एवं आवेदक के

Scanned with CamScanner

(7)

नाम रजिस्ट्री केवाला सं0 1403 दिनांक 3.2.2011 की छाया प्रति संलग्न है।

अंचल अधिकारी, टाटीझरिया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित भूमि आवेदक के दखल कब्जा मे है। भूमि किसी सरकारी योजना हेतु भू-अर्जन में मुक्त है तथा क्रय विक्रय के लिए प्रतिबंधित नही है। उक्त भूमि गैरमजरूआ आम, वन सीमा, सैरात, कैसरे हिन्द, श्मशान घाट, कब्रिस्तान, सरकारी प्रतिष्ठान एवं छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम आदि से मुक्त है।

अंचल अधिकारी, टाटीझरिया के द्वारा फार्म एम. मे उपरोक्त भूमि का लगान 0.40 पैसा प्रस्तावित करते हुए भूमि का लगान निर्धारण करने तथा लगान की वसूली जमींदारी उन्मुलन वर्ष 1951-52 से करने का अनुशंसा किया गया है।

अंचल अधिकारी, टाटीझरिया के द्वारा लगान निर्धारण हेतु की गई अनुशंसा के आलोक में ज्ञापांक 830 दिनांक 16.7.15 द्वारा विक्रेता श्री जगदीश मिस्त्री को नोटिस निर्गत कर दिनांक 30.7.15 को उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया। दिनांक 30.7.15 को उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पुत्र अर्जून राणा द्वारा उपस्थित होकर लिखित दिया गया कि उनके पिता श्री जगदीश मिस्त्री शरीर से अस्वस्थ एवं वृद्धावस्था के कारण वे उपस्थित होने में असमर्थ हैं उनके द्वारा लिखित दिया गया है कि उनके पिता श्री जगदीश मिस्त्री द्वारा उपरोक्त भूमि झुनझुन कुमार गुप्ता को बेचा गया है। भूमि बेलगान है, केता के नाम से लगान निर्धारण हेतु उनके द्वारा अनुरोध किया गया।

अतएव अंचल अधिकारी, टाटीझरिया के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित भूमि का लगान 0.40 पैसा वार्षिक अनुमोदित करते हुए आवेदक के नाम से उपरोक्त भूमि का लगान निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है। लगान जमींदारी उन्मुलन वर्ष 1951-52 से वसूलनीय होगी।

अभिलेख अंचल अधिकारी, टाटीझरिया को भेजे।

लेखापित एवं सत्यापित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
सदर, हजारीबाग।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
सदर, हजारीबाग।

Scanned with CamScanner

(8)

| | |
|---|---|
| ...10.15 | अभिलेख उपस्थापित, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, [illegible] हजारीबाग के पत्रांक – 61 (भू०) / भू०सु० दिनांक – [illegible] द्वारा लगान निर्धारण के स्वीकृति के पश्चात [illegible] प्राप्त हुआ है। आवेदक, [illegible] कुमार [illegible] [illegible] खाता नं० – 176 खाता नं० – 65 प्लॉट नं० – 1747 रकबा 0.3.33 [illegible] प्लॉट नं० – 1748 रकबा 0.1.00 डी० प्लॉट नं० – 1749 रकबा – 0.0.67 [illegible] प्लॉट नं० – 1751 रकबा 0.4.00 डी० कुल रकबा – 0.9.00 डी० प्रस्तावित भूमि का लगान 0.40 पैसा वार्षिक निर्धारित किया गया है। संबंधित राजस्व कर्मचारी, लगान [illegible] [illegible] अनुमोदन वर्ष 1951-52 से निर्धारित दर से लगान की गणना कर रसीद निर्गत करें। अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें। [illegible] [illegible] अंचल अधिकारी टाटीझरिया |
| 29.01.16 | अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु के पत्रांक – 54 / भू०सु० दि० – 27.01.2016 द्वारा आवेदक द्वारा संलग्न [illegible] अभिलेख की [illegible] की गई है। आवेदक द्वारा संलग्न [illegible] के त्रुटिवश मौजा – टाटीझरिया, थाना नं० – 176 खाता सं० – 65 में क्रमशः प्लॉट सं० – 1747, 1748, 1749 एवं 1751 में क्रमशः रकबा 0.3.33 डी०, 0.1.00 डी०, 0.0.67 डी०, 0.4.00 डी० कुल रकबा 0.09 ए० के स्थान पर क्रमशः 3.33 डी०, 1.00 डी०, 0.67 डी०, 4.00 डी० कुल रकबा – 9.00 डी० दर्ज है। इनका [illegible] दर्ज करना है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर सुधार हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर [illegible] को भेजें। [illegible] अंचल अधिकारी टाटीझरिया |

Scanned with CamScanner